

आदेश नं. 01/3/22  
कार्य विभागाध्यक्ष का कार्यालय है अतः पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 01/3/22

01/3/22

वकील फाकिनेन उफो/वकील अफासी पी. पत्र  
को जवाब पत्रा पचना नहीं चाहते हैं/बहम  
पी. पत्र वकील फाकिनेन मुनी गई/पी. पत्र  
3000 रुपये हर्जा पर स्वीकार किया जाता  
है/बहम पी. पत्र अन्तर्गत धारा 212  
RT ACT को पुनः नम्बर पर लिये जाने के  
आदेशा दिये जाता है/पत्रावली दाखिल  
दफ्तर है/क

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (मल्लपुर)